न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
बईजलास : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस
अपील संख्या : 07/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्यामलाल पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी मालपुरिया तहसील जैतारण		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थिति :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेट की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20/2/2018

----0----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राज./2016/649 दिनांक 25.10.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ठाकरवास के खसरा नम्बर 164/4 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत बिरोल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला उद्योग केन्द्र पाली द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं संपरिवर्तन शुल्क राजकोष मे जरिये चालान जमा करवाया। तहसीलदार जैतारण द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि आबादी से 2 किलोमीटर दूर होना अंकित किया तथा ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा भी उक्त भूमि ग्राम की आबादी से दूर होने के कारण औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु प्रस्ताव पारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिर्पोट प्रस्तुत हुई, उन समस्त रिपोर्ट में किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त भूमि आबादी की सीमा के निकटतम स्थित होना मानते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलाण्ट का आवेदन पत्र खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह जाहिर किया कि उक्त भूमि में आवागमन का रास्ता भी आबादी भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील प्राधिकारी

का आवेदन पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। यदि किसी प्रकार में विधिक अडचन हो तो सक्षम अधिकारी से जांच करवाई जानी थी, जो नहीं करवाई जाकर अपील खारिज कर दी, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण में संपरितर्वन करने हेतु निर्देशित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रकरण में जिस भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का निवेदन किया गया है, उसका स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है तथा भूमि आबादी की बाहरी सीमा से निकटतम होने के कारण औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जाना उचित नहीं होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का आवेदन पत्र खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है लिहाजा अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम ठाकरवास के खसरा नम्बर 164/4 रकबा 18.13 बीघा किस्म चाही सोयम की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि औद्योगिक (पत्थर घड़ाई) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार जैतारण द्वारा जो मौका रिपोर्ट संलग्न की है, उसके अनुसार प्रस्तावित भूमि आबादी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना बताया है तथा मौके पर रास्ता उपलब्ध होना अंकित किया है तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तावित भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने हेतु सिफारिश की। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत बिरोल का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड जैतारण द्वारा जारी अनापत्ति की प्रति प्रस्तुत की। इसके पश्चात पत्रावली प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया तथा दौराने मौका जांच उक्त भूमि आबादी की बाहरी सीमा से निकटतम होने के कारण प्रकरण को संपरिवर्तन योग्य नहीं मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का आवेदन पत्र खारिज किया। प्रकरण में दृष्टिगोचर हुई विधिक स्थिति के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 4 (सी) में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक/प.9(98)राज.–6/2014/1 दिनांक 28.04.2016 के अनुसार डेढ किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से है, ना कि उस ग्राम की ढाणी या मजरे की बाहरी सीमा से हैं। अतः औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाते समय दूरी की गणना राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से की जावे। तद्नुसार प्रकरण आबादी की बाहरी सीमा से विहित दूरी में कवर नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/649 दिनांक 25.10.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली